दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

सीएमएचओ ने दिखाई एड्स जन जागरूकता रथ को हरी झण्डी

रायगढ़। सीएमएचओ डॉ.मधुलिका सिंह ठाकुर ने स्वास्थ्य कार्यालय में आज एड्स जन जागरूकता रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। एड्स जन जागरूकता रथ में कलाजत्था के सदस्य मौजूद रहेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को एचआईवी के संक्रमक कारणों को नुक्कड़-नाटक के माध्यम से जानकारी देते हुए एचआईवी के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे। जिसके तहत आज रायगढ़ रेलवे स्टेशन एवं मिट्ठूमुड़ा में कलाजत्था दल द्वारा नाटक नृत्य प्रस्तुत कर लोगों में जन जागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार किया गया। एड्स की अधिक जानकारी के लिए 1097 पर संपर्क कर सकते हैं। इस अवसर पर नोडल अधिकारी डॉ.जयकुमार चौधरी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक रंजना पैकरा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि रायगढ़ जिले के समस्त विकास खंड में बीएमओ, बीपीएम, बीईटीओ, सुपरवाइजरों, रायगढ़ शहरी क्षेत्र में प्रभारी मीडिया अधिकारी नोडल अधिकारी की सतत निगरानी में यह कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिसमें जिले के समस्त विकासखंड एवं हॉटस्पॉट जैसे क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एड्स के प्रति लोगों को जागरूक और जानकारी प्रदान करेगी। यह कार्यक्रम 25 अक्टूबर तक शहरी क्षेत्र, ग्राम मोहल्ले में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कराया जा रहा है।

टेरम में अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर आज

रायगढ़। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती तिथि 2 अक्टूबर 2023 को अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर का आयोजन विकासखण्ड घरघोड़ा के ग्राम-टेरम में पूर्वान्ह 11 बजे से शासकीय हाईस्कूल टेरम के प्रांगण में किया जाएगा। जिसमें वर्ण भेद, रहित सामूहिक भोज सम्भाषण एवं शिक्षाप्रद चित्र आदि कार्यक्रम किया जाएगा।

शासकीय आई.टी.आई. के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापन 4 से 6 तक

रायपुर। राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में तृतीय श्रेणी के प्रशिक्षण अधिकारियों, छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षिका की भर्ती हेतु अगली चरण का दस्तावेज सत्यापन दिनांक 04 से 06 अक्टूबर तक होगा। दस्तावेज सत्यापन का कार्य शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय सेजबहार, रायपुर में किया जाना है। इस चरण के लिए संस्थाओं की वरीयता दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाये गये अभ्यर्थियों और मेरिट अनुसार सूची में स्थान प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन भरा जाना होगा। इसके लिए सभी अभ्यर्थी उक्त चरण के दस्तावेज सत्यापन हेतु अपने अध्यापकीय अनुभव के दौरान प्राप्त किए गए वेतन के बैंक द्वारा सत्यापित स्टेटमेंट सहित अपने समस्त दस्तावेज तैयार रखने को कहा गया है। इस चरण हेतु दस्तावेज सत्यापन में बुलाये जाने वाले विभिन्न व्यवसायों के अभ्यर्थियों के कटऑफ व्यापम द्वारा जारी मेरिट के आधार पर पृथक से जारी किये जायेंगे। सभी अभ्यर्थी अद्यतन जानकारी हेतु निरंतर संचालनालय की वेबसाइट तथा अपने लॉगिन आईडी का नियमित अवलोकन करते रहें।

खनिज नियमों की अनियमितता पर कलेक्टर सिन्हा की सख्त कार्यवाही, 6 कोल वाशरी पर लगाया 1.56 करोड़ का जुर्माना

- 6 लायसेंस धारियों पर लगाया गया है लाइसेंस फीस का दुगुना अर्थदंड
- कलेक्टर सिन्हा ने जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण के दिए हैं निर्देश, आगे भी जारी रहेगी कार्यवाही

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने खनिज के अवैध उत्खनन और परिवहन पर कड़ी कार्यवाही की है। जिले के 6 लायसेंसधारी कोल वॉशरीज पर छत्तीसगढ़ खनिज नियम के उल्लंघन पर 1 करोड़ 56 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जो कि लायसेंस फीस की दुगुनी राशि है। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण की प्रभावी रोकथाम हेतु खनिज विभाग, राजस्व एवं पुलिस विभाग को त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। जिला स्तरीय संयुक्त दल द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में बीते दो माह में जिले में अवैध खनिज परिवहन के कुल 18 प्रकरण दर्ज किये गये हैं, जिनसे कुल 7 लाख 93 हजार 433 रुपये अर्थदण्ड की राशि भी वसूल की गई है।

जिला खनिज अधिकारी रायगढ़ योगेन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि खनिज विभाग, राजस्व विभाग, पर्यावरण विभाग एवं जीएसटी के संयुक्त जांच दल द्वारा रायगढ़ जिले के कोल वाशरी का आकस्मिक जांच किया गया। जांच के दौरान 6 लायसेंसधारियों के विरूद्ध पायी गई अनियमितता के कारण छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण)नियम में निहित प्रावधान अंतर्गत अनुज्ञप्ति की फीस के दोगुने राशि का अर्थदण्ड कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा लगाया गया है।

खनिज नियमों के उल्लंघन पर इन लायसेंसधारियों के ऊपर लगाया गया 1 करोड़ 56 लाख का अर्थदण्ड

छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियमों एवं शर्तो के उल्लंघन पर अनियमिता पाये जाने के कारण जिन 6 लायसेंसधारियों के ऊपर 1 करोड़ 56 लाख रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। इनमें ग्राम-ढोलनारा, तहसील तमनार के मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड पर 20 लाख 40 हजार रुपये, ग्राम-चक्रधरपुर चुनचुना के मेसर्स शिव शक्ति स्टील प्रायवेट लिमिटेड पर 16 लाख 32 हजार रूपये, ग्राम-सराईपाली तहसील तमनार के मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल्स प्रा.लिमिटेड पर 10 लाख 32 हजार रुपये, ग्राम-नवापारा (टेण्डा) तहसील घरघोड़ा मेसर्स फील कोल प्राय.लिमिटेड पर 32 लाख 32 हजार रुपये, ग्राम-देहजरी तहसील खरसिया के मेसर्स के.एल.एनर्जी एण्ड कोल बेनि.प्रायवेट लिमिटेड पर 36 लाख 32 हजार रुपये एवं ग्राम-छोटे डुमरपाली तहसील खरसिया के मेसर्स भाटिया एनर्जी पर 40 लाख 32 हजार रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

अवैध खनिज परिवहन के 18 मामले दर्ज, 7 लाख 93 हजार 433 अर्थदण्ड की राशि की गई वसूल

कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशानुसार जिला स्तरीय संयुक्त दल द्वारा 22 अगस्त से 30 सितम्बर 2023 तक कुल 18 अवैध खनिज परिवहनकर्ताओं पर खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते 7 लाख 93 हजार 433 रुपये अर्थदण्ड वसूल की गई है।

अवैध उत्खनन प्रभावित और सीमावर्ती क्षेत्रों में रखी जा रही विशेष निगरानी, आगे भी जारी रहेगी कार्यवाही- कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं अवैध भण्डारण पर अंकुश लगाने के लिए खनिज विभाग के अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि वे खनिजों के अवैध उत्खनन प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों को चिन्हांकित कर विशेष निगरानी रखें तथा ऐसे क्षेत्र के लिए समस्त पहुंच मार्ग को बाधित करने के आवश्यक सभी उपाय सुनिश्चित करें तथा आवश्यकता अनुसार अन्य संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही को नियमित जारी रखें।

भरोसे का सम्मेलन 4 अक्टूबर को : रूट प्लान, बैठक व पार्किंग व्यवस्था की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दी गई दिशा-निर्देश

- विधायक प्रकाश नायक, महापौर जानकी काटजू, डीआईजी रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा व पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा

रायगढ़। रायगढ़ के कोड़ातराई में आगामी 04 अक्टूबर को 'भरोसे का सम्मेलन' कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा व सांसद मल्लिकार्जुन खडग़े व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे तथा आमसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है। विधायक प्रकाश नायक, महापौर जानकी काटजू, डीआईजी रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने आज कोड़ातराई पहुंच कर सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।

कलेक्टर सिन्हा ने कार्यक्रम स्थल पर डोम, मंच और बैठक की तैयारी को लेकर निर्देश दिए। कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए अलग-अलग स्थानों पर पार्किंग के स्थल चिन्हांकित कर वहां सभी जरूरी तैयारियां जल्द पूरी करने के लिए भी कहा।

वाहनों के सुचारू आवागमन के लिए उन्होंने विस्तृत रूट व ट्रैफिक प्लान बनाने के निर्देश दिए। सभा स्थल तक लोगों की एंट्री व उनके बैठने के साथ पेयजल की व्यवस्था के लिए विशेष रूप से अधिकारियों को निर्देशित किया। डीआईजी रामगोपाल गर्ग ने कार्यक्रम स्थल में सुरक्षा व्यवस्था और बेरीकेडिंग की तैयारियों को लेकर निर्देशित किया।

इस दौरान बैठक में सीईओ जिला पंचायत जितेन्दर यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय महादेवा, अपर कलेक्टर संतन देवी जांगड़े, आयुक्त नगर निगम सुनील चंद्रवंशी, जिला परिवहन अधिकारी दुष्यंत रायस्त, एसडीएम रायगढ़ गगन शर्मा, एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा, डीएसपी ट्रैफिक सुशांतो बनर्जी अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

ध्वनि प्रदूषण को लेकर सख्त प्रशासन एवं पुलिस, नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्यवाई

- एडिशनल एसपी ने डीजे संचालक, मैरिज गार्डन व होटल प्रबंधन की पुलिस कंट्रोल में ली बैठक
- संचालकों को हाईकोर्ट की गाइडलाइन की दी गई जानकारी, निर्देशों के अवमानना पर होगी कार्यवाही

रायगढ़। दिनांक 30/09/2023 को पुलिस कंट्रोल रूम रायगढ़ में एडिशनल एसपी संजय महादेवा की अध्यक्षता में शहर के डीजे संचालक, विवाह भवन संचालक और होटल प्रबंधन की संयुक्त रूप से बैठक लिया गया जिसमें रायगढ़ एसडीम गगन शर्मा भी उपस्थित थे।

एडिशनल एसपी संजय महादेवा द्वारा उपस्थित संचालकों को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के द्वारा जनहित याचिका के संबंध में पारित आदेश दिनांक 29/099/2023 अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिशा निर्देशों के संबंध में जानकारी दिया गया तथा उन्हें शहर के विभिन्न क्षेत्र जैसे- औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और शांत क्षेत्र में दिन व रात के समय ध्वनि विस्तारक यंत्र की रखे जाने वाली सीमा की जानकारी दिया गया तथा नियमों का पालन करने की समझाइश दिये और उन्हें सचेत भी किया गया कि नियमों के उल्लंघन पर उन पर दंडात्मक कार्यवाही के साथ पुलिस कोलाहल अधिनियम के तहत एफआईआर एवं डीजे साऊड सिस्टेम की जप्ती कार्यवाही किया जाएगा। विदित हो कि एसडीम रायगढ़ के कार्यालय से कल ही इस संबंध में आदेश जारी कर बैठक में उपस्थित 21 डीजे संचालक, मैरिज गार्डन संचालक और होटल प्रबंधन को आदेश की लिखित पावती अभिस्वीकृति लिया गया।

एएसपी संजय महादेवा ने बताया कि कलेक्टर व एसएसपी महोदय द्वारा इस आदेश की तामिली सभी संचालकों को कराकर नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये गये हैं। बैठक में संचालकों के साथ थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव अहेर, डीएसबी प्रभारी उपनिरीक्षक डिलेश्वर साहू, थाना कोतरारोड़ के सहायक उप निरीक्षक डीपी चौहान उपस्थित थे।

ग्राम चंवरपुर में मिले अधेड़ व्यक्ति के शव मामले की जांच पर हत्या का अपराध दर्ज, लैलूंगा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

रायगढ़। 27 सितंबर के शाम थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज को ग्राम चंवरपुर के खेत टिकरा में एक अधेड़ व्यक्ति का शव पड़े होने की सूचना मिला। सूचना पाकर तत्काल थाना प्रभारी लैलूंगा अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। जहां शव के निरीक्षण पर मृतक के शरीर में हाथ मुक्का एवं डंडे से मारपीट जैसे चोट के निशान देखा गया। मृतक की शिनाख्त महाजन सिदार पिता स्व.समारू सिदार उम्र 60 वर्ष साकिन ग्राम सिहारधार गम्हार थाना लैलूंगा के रूप में हुआ। घटनास्थल पर मृतक का टार्च एवं एक जोड़ प्लास्टिक का जूता रखा हुआ था जिसे जप्त किया गया। लैलूंगा पुलिस द्वारा बिना नंबरी मर्ग कायम कर पंचनामा कार्यवाही पश्चात मृतक की मृत्यु का वास्तविक कारण का पता लगाने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

थाना प्रभारी लैलूंगा द्वारा संदेहास्पद मर्ग की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी धरमजयगढ़ को दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा थाना प्रभारी को पीएमकर्ता चिकित्सक से शॉर्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त कर अग्रिम विधि अनुरूप निर्देश दिये गये। थाना प्रभारी लैलूंगा द्वारा मृतक के वारिसानों से पूछताछ करने पर वे बताये कि महाजन सिदार (मृतक) के घर 26 सितंबर को ग्राम चंवरपुर का रतन सोरेंग, उसकी पत्नी तथा भाई-बहू उसके घर आये थे। रतन सोरेंग की पत्नी शाम को वहीं सो गई थी जिसे छोड़ने महाजन सिदार को ग्राम चंवरपुर रतन के घर गया था और वापस नहीं आया।

शार्ट पीएम रिपोर्ट पर मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक पाये जाने पर 29 सितंबर को हत्या का अपराध दर्ज कर थाना प्रभारी द्वारा मृतक के चचेरे भाई एतवार सिदार से मिली जानकारी पर कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुये ग्राम चंवरपुर के रतन सोरेंग, उसकी पत्नी और भाई- बहु से अलग-अलग पूछताछ किया गया जिसमें उनके बयान में विरोधाभाष आया, हिकमत अमली से पूछताछ करने पर वे बताएं कि तीनों 26 के सुबह ग्राम सिहारधार गए थे, जहां महाजन सिदार के घर सभी खाना पीना किये जिसके बाद रतन और उसकी भाई-बहू घर लौट आए, रतन की पत्नी वहीं सो गई। महाजन सिदार रात्रि करीब 9:00 बजे रतन की पत्नी को छोड़ने पैदल उसके घर गया। जहां रतन के घर में बैठकर सभी बातचीत कर रहे थे, तभी रतन का लड़का संतोष सोरेंग आया और बाहरी लोग (महाजन सिदार) को घर में बुलाते हो कहकर अपने माता पिता से झगड़ा विवाद करने लगा। झगड़ा को देखकर महाजन सिदार अपने घर जाने निकला, संतोष सोरेंग भी बांस का डंडा लेकर महाजन सिदार के पीछे-पीछे गया और रास्ते जंगल में डंडा और हाथ मुक्के से मारपीट कर महाजन सिदार की हत्या कर जंगल में शव को छोड़कर आ गया। आरोपी संतोष सोरेंग पिता रतन सोरेंग उम्र 24 साल निवासी चैलीटोंगरी चंवरपुर थाना लैलूंगा से पूछताछ कर उसने अपना गुनाह कबूल किया जिसके मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त बांस का पतला डंडा की जप्ती की गई है। आरोपी को हत्या के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया, जहां से जेल वारंट पर आरोपी को जेल दाखिल किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के सुपरविजन में आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी में थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक मोहन भारद्वाज, सहायक उप निरीक्षक चंदन नेताम, प्रधान आरक्षक जय शरण चंद्रा, सुमेश गोस्वामी एवं आरक्षक हेलारियुस तिर्की की अहम भूमिका रही है।

स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ विस्तार, जिले में पहुंची 8 महतारी एक्सप्रेस

- गर्भवती माताओं एवं शिशुओं को मिलेगी निशुल्क सुविधा

रायगढ़। जिला मुख्यालय सहित जिले के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार हो रहा हैं। जिसके तहत राज्य शासन द्वारा विभिन्न विकासखंडों के लिए भेजी गई महतारी एक्सप्रेस आज अपनी सेवाएं देने जिला मुख्यालय में पहुंच चुकी हैं।

राज्य शासन द्वारा रायगढ़ जिले को कुल 8 महतारी एक्सप्रेस प्रदान किया गया हैं। जिसमें 2 महतारी एक्सप्रेस जिला अस्पताल व एमसीएच अस्पताल, 1 सीएचसी लैलूंगा, 1 सीएचसी घरघोड़ा, 1 सीएचसी पुसौर, 1 सीएचसी चपले, 1 सीएचसी तथा 1 वाहन सिविल अस्पताल खरसिया को प्रदाय किया गया है।

महतारी एक्सप्रेस का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए घर से अस्पताल और प्रसव पश्चात अस्पताल से घर तक आने-जाने के लिए नि:शुल्क सेवा प्रदान करना है। इसके साथ ही एक वर्ष तक की उम्र वाले शिशुओं के लिए भी यह सेवा उपलब्ध है। जिसके लिए टोल-फ्री नम्बर 102 पर कॉल कर ये सेवाएं ली जा सकती हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा प्रदेशभर में महतारी एक्सप्रेस सेवा के लिए विभिन्न जिलों में 200 नई एंबुलेंस भेजी गई हैं। इस सेवा के तहत वर्तमान में चल रहे पुराने एंबुलेंस के बदले सभी जिलों में नई एंबुलेंस उपलब्ध कराई जा रही है। जिसका उप मुख्यमंत्री टी.एस.सिंहदेव ने बीते दिनों महतारी एक्सप्रेस की सेवाओं को और बेहतर करते हुए नई एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था।

स्वच्छता ही सेवा अभियान : कार्यस्थल को स्वच्छ बनाए रखने पुलिसकर्मियों ने किया श्रमदान, थाना चौकियों में ली गई स्वच्छता की शपथ

रायगढ़। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 154वीं जयंती से पहले आज 01 अक्टूबर को देशभर में "स्वच्छता ही सेवा" अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के मार्गदर्शन में आज सुबह पुलिसकर्मियों द्वारा अपने कार्यस्थल- थाना, चौकी एवं कार्यालयों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए 1 घंटे श्रमदान किया गया जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने "स्वच्छता शपथ" लिये।

पुलिस कार्यालय में सुबह एडिशनल एसपी संजय महादेवा, डीएसपी निकिता तिवारी के साथ पूरे कार्यालयीन स्टाफ द्वारा कार्यालय परिसर की साफ सफाई में योगदान दिया गया। इसी कड़ी में जिले के थाना/चौकी, पुलिस लाइन, महिला सेल, साइबर सेल में एसडीओपी व थाना प्रभारी अपने जवानों के साफ सफाई का कार्य किया गया तथा स्वच्छता की शपथ ली गई। पुलिस विभाग में श्रमदान का विशेष महत्व भी है, विभाग में सप्ताह का एक दिन श्रमदान के लिये रखा जाता है जिसमें पुलिसकर्मी अपने थाना, चौकी में रखे आर्म्स एवं मालखाने की साफ सफाई के साथ परिसर की साफ-सफाई करते हैं।

स्वच्छता ही सेवा अभियान में डीआईजी गर्ग की सहभागिता, कार्यालय परिसर की साफ सफाई में दिए अपना योगदान- पुलिस रेंज रायगढ़ के डीआईजी राम गोपाल गर्ग अपने अधीनस्थों के लिए प्रेरणा स्रोत है। गंभीर किस्म के अपराध हो या कोई लाइन ऑर्डर, उनके कार्य करने के तरीके और उनके अनुभव का हमेशा उनके लाभ अधिनस्थों को मिलता है। पुलिसिंग के साथ ही डीआईजी रामगोपाल गर्ग की सामाजिक कार्यों में भी विशेष भागीदारी रहती है। वे अक्सर सोशल पुलिसिंग के कार्य के जरिए अपने अधिनस्थों के लिए उदाहरण पेश करते हैं। आज जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के पूर्व देश "स्वच्छता ही सेवा" अभियान मना रहा है, इस अभियान में उन्होंने अपनी पूर्ण सहभागिता दर्ज करायी। आज सुबह जब उनके कार्यालय के स्टाफ कार्यालय परिसर की सफाई में जुटे हुए थे। वे कार्यालय पहुंचते ही एक झाड़ू लेकर अपने स्टाफ के कार्यालय परिसर की साफ-सफाई में जुड़ गए फिर पूरे परिसर की साफ-सफाई कराये और उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि स्वच्छता, सकारात्मक भाव लाता है, घर और कार्यालय जहां हम काफी समय व्यतीत करते हैं, उसकी साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें।

स्वच्छता ही सेवा अभियान में जुड़े शहरवासी, किया श्रमदान

- राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों ने नारा लगा जनसामान्य की किया जागरुक
- शहर के विभिन्न वार्डों में चला स्वच्छता अभियान
- महापौर काटजू, कलेक्टर सिन्हा, जिला पंचायत सीईओ यादव एवं आयुक्त नगर निगम चंद्रवशी ने किया श्रम दान

रायगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आह्वान पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत 01 अक्टूबर को स्वच्छता जागरूक अभियान के तहत पूरे शहर में एक घंटा श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया गया।

श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश एवं जन जागरूकता लाने के लिए सुबह 10 बजे से शहर के गौरी शंकर मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों तथा सुभाष चौक के सड़कों में महापौर जानकी काटजू, कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा, सीईओ जिला पंचायत जितेन्दर यादव, आयुक्त नगर निगम सुनील कुमार चंद्रवंशी, शहरवासी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, जिला प्रशासन के अधिकारी-कर्मचारी, स्वच्छता दीदीयां एवं समस्त वार्डवासियों ने शहर की स्वच्छता अभियान में अपना योगदान देते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। इसके साथ ही शहर के सभी वार्डो में स्वच्छता ही सेवा के तहत स्वच्छता कार्य किया गया।

राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चो ने नारा लगाकर किया लोगों को जागरुक- एनएसएस एवं सामाजिक संस्थाओं ने नारा लगा कर दुकान संचालक को साफ -सफाई रखने के साथ ही दुकानों से निकले कचरा को डस्टबिन में एकत्रित करने एवं एकत्रित कचरे को स्वच्छता दीदियों को देने की अपील की।

जिले भर में चला स्वच्छता ही सेवा के तहत स्वच्छता अभियान- स्वच्छता ही सेवा के तहत जिले के विभिन्न कार्यालयों के साथ ही विकासखंड कार्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिसके तहत अस्पताल, तहसील कार्यालय एवं परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत साफ-सफाई का कार्य किया गया।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480